RNI No. MAHBIL /2009/35527

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार—क

वर्ष २, अंक ४०] गुरुवार, ऑक्टोबर २०, २०१६/आश्विन २८, शके १९३८ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ५४

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले (भाग एक, एक-अ व एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क), जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१६

क्रमांक जीवका १५१६/प्र. क्र. १८४/नापु-२३, भारत सरकार, ग्राहक बाबी, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ग्राहक बाबी विभाग, नवी दिल्ली यांच्याकडून **असाधारण राजपत्र,** भाग-II, खंड-३, उपखंड (i) मध्ये दिनांक २८ सप्टेंबर २०१६ रोजी प्रकाशित झालेली अधिसूचना खालीलप्रमाणे पुनर्प्रकाशित करण्यात येत आहे :—

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर 2016

सा. का. नि. ९२९(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है अधिक्रान्त करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(१) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2016 है।

(२) यह, 1 अक्तूबर 2016 से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं.—**इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 (1995 का 10) अभिप्रेत है ;

(ख) "केन्द्रीय सरकार" से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग अभिप्रेत है ;

(ग) "व्यौहारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो खंड 3 मे विनिर्दिष्ट किसी वस्तु के क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या भंडारण के कारबार में लगा हुआ है चाहे वह थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या उत्पादक या विनिर्माता या निर्यातक या आयातकर्ता हो और चाहे वह किसी अन्य कारबार में सहयोजित हो या नहीं तथा जिसके अन्तर्गत उसके प्रतिनिधि या अभिकर्ता भी हैं किन्तु जिसके अन्तर्गत चीनी का कोई उत्पादक या विनिर्माता या आयातक अथवा निर्यातक शामिल नहीं है ; और

(घ) "राज्य सरकार" से किसी संघ राज्य क्षेत्र के सन्दर्भ में प्रशासक अभिप्रेत है।

3. **कतिपय खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी, अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन हटाना —**(1) कोई भी व्यौहारी, गेहूं, गेहूं उत्पादों (अर्थात्. मैदा, रवा, सूजी, आटा, परिणामी आटा और भूसी) धान, चावल, मोटे अनाज, चीनी, गुड, खाद्य तिलहन, खाद्य तेल, दाले, हाईड्रोजेनेटिड वेजिटेबल तेल अथवा वनस्पति, प्याज और आलू की किसी भी मात्रा का क्रय, स्टॉक, विक्रय, परिवहन, वितरण, निपटान, अर्जन, उपयोग या उपभोग मुक्त रूप से कर सकेगा और उसे इस खंड मे यथाउपबन्धित के सिवाय अधिनियम के अधीन जारी किसी आदेश के अधीन कोई परमिट या अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) उप-खंड (1) के उपबंध इन वस्तुओं के क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या भंडारण के संबंध में, निम्नलिखित के लिए लागू नही होंगे—

(*i*) दालों के सम्बन्ध में 30 सितम्बर 2017 की अवधि तक ;

(*ii*) 'चीनी' के सम्बन्ध में—असम, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी के सम्बन्ध में २१ नवम्बर २०१६ की अवधि के लिए ; और अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में 28 अक्टुबर 2016 की अवधि के लिए।

(*iii*) निम्नलिखित मामलों में अधिनियम के अधीन स्टॉक सीमाओं की गणना के प्रयोजन के लिए खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के सम्बन्ध में 30 सितम्बर 2017 की अवधि के लिए, के सिवाय :

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक रखने वाले कोई निर्यातकर्ता, जो थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या व्यौहारी है, यदि यह प्रदर्शित कर देता है कि निर्यात के लिए बनाए गए स्टॉक की सीमा तक खाद्य तेलों और खाद्य तिलहानों के संबंध में उसका सम्पूर्ण स्टॉक या उसका भाग निर्यात के लिए है ;

(ख) बहुलय विक्रय केन्द्र वाले फुटकर व्यापारी अथवा बडे डिपार्टमेंटल खुदरा व्यापारी ;

(ग) खाद्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्तिधारक खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा कच्ची सामग्री के रुप में उपयोग में लाया जाने वाला आवश्यक स्टॉक ;

(घ) कोई आयातकर्ता, जो थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता या व्यौहारी है, यदि यह प्रदर्शित कर देता है कि खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के उसके स्टॉक का भाग आयात से प्राप्त किया गया है :

परन्तु कि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार आयातकों को खाद्य तेलों और खद्य तिलहनों के स्टॉकों की प्राप्ति और उनके द्वारा रखे गए स्टॉक की घोषणा करने का निर्देश दे सकेगी।

(3) उप-खंड (2) की कोई बात चीनी, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों को राज्य से बाहर के स्थानों पर परिवहन, वितरण करने अथवा निपटान करने पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

(4) **कतिपय मामलों में इस आदेश का प्रभाव.—**इस आदेश के उपबंध, राज्य सरकार द्वारा उन्हें तत्कालीन कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), भारत सरकार सा. का. नि. 800(अ) तारीख 17 जून 1978 की अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन जारी किसी आदेश में किसी बात के होते हुए भी खंड 3 में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु के संबंध में भंडारण, परिवहन, वितरण, निपटान, अर्जन, उपयोग अथवा उपभोग के लिए अनुज्ञाप्ति, परमिट या अन्यथा के विनियमन के प्रयोजन के लिए किसी आदेश को जारी करने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी।

परन्तु इस आदेश की किसी भी बात का प्रभाव निम्नलिखित के प्रचालन पर नीं पडेगा—

(*i*) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 और इसके अनुसरण में राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेश ;

(*ii*) राज्य सरकारों को अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे प्रत्यायोजित की गई शक्तियों के अनुसरण में, धान और चावल के मिलरों अथवा व्योहारियों से चावल की उपाप्ति करने के प्रयोजनार्थ लिए जाने वाले उग्दृहण के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए उग्दृहण आदेश।

[फा.सं.एस.-10/4/2016-ईसीआरएंडई]

पी. वी. रामाशास्त्री, संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

Order

New Delhi, the 29th September 2016.

G.S.R. 929(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and in supersession of the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following order, namely :—

1. *Short title and commencement.*– (1) This Order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016.

(2) It shall come into force with effect from the lst day of October, 2016.

2. *Definitions.*– In this Order, unless the context otherwise requires, –

(*a*) "Act" means the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);

(*b*) "Central Government" means the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Consumer Affairs ;

(*c*) "dealer" means any person engaged in the business of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for any of the commodities specified in clause 3, whether as a wholesaler or retailer or producer or manufacturer or importer or exporter and whether or not in conjunction with any other business, and includes his representative or agent but does not include a producer or manufacturer or importer or exporter of sugar; and

(*d*) "State Government", in relation to a Union territory, means the administrator thereof.

3. *Removal of licensing requirements, stock limits and movement restrictions on certain foodstuffs.*— (1) Any dealer may freely buy, stock, sell, transport, distribute, dispose, acquire, use or consume, any quantity of wheat, wheat products (namely maida, rava, suji, atta, resultant atta and bran) paddy, rice, coarsegrains, sugar, gur, edible oilseeds, edible oils, pulses, hydrogenated vegetable oils or vanaspati, onions and potato and shall not require a permit or license therefor, under any order issued under the Act, save as otherwise provided under this clause.

(2) The provisions of sub-clause (1) shall, in respect of the purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale of these commodities, not apply to –

(*i*) pulses, for a period upto 30th September 2017;

(*ii*) sugar, for a period up to 21st November 2016 in respect of the States of Assam, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala and the Union territory of Puducherry ; and for a period up to 28th October 2016 in respect of other States and Union territories ;

(*iii*) edible oils and edible oilseeds, for a period up to 30th September 2017 except for the purposes of calculation of stock limits under the Act, in the following cases, namely :—

(*a*) an exporter, being a wholesaler or retailer or dealer, having Importer-Exporter Code Number issued by the Directorate General of Foreign Trade, if such exporter is able to demonstrate that the whole or part of his stock in respect of edible oils and edible oilseeds are meant for exports, to the extent of the stock meant for export ;

(*b*) a retailer having multiple outlets or large departmental retailers ;

(*c*) stock essential to be used as raw materials by licensed food processors for manufacture of food products ;

(*d*) an importer, being a wholesaler or retailer or dealer, if such importer is able to demonstrate that part of his stock in respect of edible oils and edible oilseeds are sourced from imports :

Provided that the Central Government or the State Government may direct the importers to declare the receipts of stocks of edible oils and edible oilseeds and stocks retained by them ;

(3) Nothing contained in sub-clause (2) shall affect the transport, distribution or disposal of sugar, edible oils and edible oilseeds to places outside the State.

4. *Effect of this order in certain cases.*— The provisions of this Order shall have effect notwithstanding any order issued by the State Government under the powers delegated to it *vide* notification of the Government of India in the then Ministry of Agriculture (Department of Food) number G.S.R.800, dated the 17th June, 1978 and the State Government shall obtain prior approval of the Central Government for issuing of any order for the purposes of regulating by licenses, permit or otherwise, the storage, transport, distribution, disposal, acquisition, use of consumption of any of the commodities specified in clause 3:

Provided that nothing contained in this Order shall affect the operation of—

(*i*) the Public Distribution System (Control) Order, 2001 issued by the Central Government or any order of the State Government issued in pursuance thereof ;

(*ii*) the orders for levy from the millers or traders of paddy or rice issued by the State Government for the purpose of procurement of rice, in pursuance of the powers delegated to it by the Central Government under section 3 of the Act.

[F. No. S-l0/4/2016-ECR&E]

P.V.RAMA SASTRY, Jt Secy.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

स. श्री. सुपे,

शासनाचे उप सचिव.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.